नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए

2016/00061

मिसल नं0 1/2016 सरकार जरये तहसीलदार दीगोद बनाम छीतरलाल पुत्र रामचन्द्र

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09-10-19	पेरोकार सरकार उपस्थित । पत्रावली का अवलोकन किया गया । तहसीलदार दीगोद द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970) के नियम 14 (4) एवं राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 के संशोधित नियम 1957 के नियम 22 के अन्तर्गत आवंटन खारिज करने हेतु प्रस्तुत कर तथ्य अंकित किये है कि आवंटी श्री छीतर पुत्र रामचन्द्र कोम कीर निवासी खेड़ली परसराम तहसील दीगोद को ग्राम बगावदा की ख0 नं0 539 रकबा 0.15 है0 व 541 की 0.10 है0 भूमि आवंटित हुई थी । आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना नही किये जाने से उक्त आवंटन निरस्त करने हेतु दिनांक 10.03.2016 को प्रस्तुत किया है । तामील कुनन्दा की रिपोर्ट दिनांक 12.04.2016 के अनुसार अप्रार्थी श्री छीतर पुत्र रामचन्द्र कोम कीर निवासी खेड़ली परसराम तहसील दीगोद की मृत्यु 14 महिने पहले होना बताया है । चूंकि तहसीलदार दीगोद द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थी की मृत्यु के बाद बिना मृतक के वारिसान बनाये प्रस्तुत किया है । अतः तहसीलदार दीगोद द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस निर्देश के साथ खारिज किया जाता है कि तहसीलदार आवंटी के वारिसान की जांच कर पुनः नये सिरे से उक्त आवंटन निरस्तीकरण का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें । मूल आवंटन पत्रावली तहसीलदार दीगोद को भिजवावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो । अति0 जिला कलक्टर कोटा	